43

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के इक्कतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के इक्कतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

16.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं
समिति की संरचना		(iv)
	प्राक्कथन	(vi)
प्रतिवेदन		
अध्याय - I	प्रतिवेदन	
अध्याय - II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।	
अध्याय - III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।	
अध्याय - IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।	
अध्याय - V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं।	
	अनुबंध	
I.		
II.		
	परिशिष्ट	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा	-	अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल	-	संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव
5. श्री हाओकीप ककाई	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के इक्कतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. इक्कतीसवां प्रतिवेदन 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2022 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवेदन पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया और स्वीकार किया गया।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियोंसिफारिशों को प्रतिवेदन में / मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
15 दिसंबर, 2022
24 अग्रहायण, 1944 (शक)

रमा देवी
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगो 2022-23' पर समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. इक्कतीसवां प्रतिवेदन 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 23 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- **सिफारिश पैरा सं. 2.9, 2.10, 3.13, 3.14, 4.12, 4.13, 5.9, 6.16, 6.17, 7.13, 8.10, 9.13, 11.12, 12.12 और 13.8**	**(कुल: 15, अध्याय: दो)**
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है:- **सिफारिश पैरा सं. 2.11, 5.8, 10.8 और 12.11**	**(कुल: 04, अध्याय: तीन)**
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- **सिफारिश पैरा सं. 3.15, 6.15, 7.14 और 10.9**	**(कुल: 04, अध्याय: चार)**
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं:-	**शून्य**

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण उन्हें यथाशीघ्र और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में तीन माह से अनधिक समय में प्रस्तुत किए जाएं।

4. अब समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या टिप्पणियां किया जाना आवश्यक है।

क. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)।

सिफारिश (पैरा संख्या 3.15)

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति ने पाया कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये सालाना के आय मानदंड को 2013-14 में संशोधित किया गया था। समिति का दृढ़ता से मानना है कि इस तरह के कम आय मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो कई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक गंभीर बाधा बन गए होंगे। समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रियों का एक समूह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और वार्षिक आय सीमा में उपयुक्त संशोधन करेगा। समिति का दृढ़ मत है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश करती है कि छात्रवत्ति की राशि में आवधिक संशोधन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति इस मामले की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।"

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"इस मामले में यह सूचित किया जाता है कि पीएमएस-एससी स्कीम को हाल ही में दिनांक 23.12.2022 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर संशोधित किया गया है और यह वर्ष 2025-26 तक प्रभावी है। संशोधित स्कीम दिशा-निर्देशों में वार्षिक आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये नियत किया गया है। अत: अभी इस चरण पर इस स्कीम के अंतर्गत आय मानदंड में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आय मानदण्डों में वर्ष 2013-14 से संशोधन नहीं किया गया है, समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में योजना के आय मानदण्डों में संशोधन करने और छात्रवृत्ति की राशि को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भी इच्छा व्यक्त की थी। समिति ने पाया कि दिनांक 23.12.2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 2013-14 में निर्धारित 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय मानदंड संशोधित योजना में 2025-26 तक प्रभावी रहेगी। समिति का मानना है कि योजना के तहत वितरित राशि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने/आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इच्छा व्यक्त करती है कि अधिक छात्रों को कवर करने और छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आय मानदंडों पर पुन: विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए समिति चाहती है कि आय मानदंडों के संशोधन के लिए समिति के विचारों को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए और मुद्रास्फीति के प्रभाव को न्यून करने के लिए छात्रवृत्ति के आवधिक संशोधन के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।

ख. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)

सिफारिश (पैरा संख्या 6.15)

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना के (श्रेयस) दायरे में आने वाली सभी चार योजनाओं पर बजटीय आवंटन की एक बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम था, सिवाय 2021-22 के, जहां विभाग तीन योजनाओं के तहत खर्च करने में पिछड़ गया था, अर्थात, 'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग', 'अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' और 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति'। समिति को आश्चर्य है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए निर्धारित निधि का कम उपयोग चयन की तुलना में पाठ्यक्रम में शामिल होने जारी रखने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण था।

इसी प्रकार, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के मामले में संस्थानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना के मामले में पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय नहीं किया जा सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकृत निधियों का कम उपयोग न केवल निधियों का निष्क्रिय रखता है बल्कि समाज के हाशिए पर जा चुके वर्गों के छात्रों को इन छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा अवसरों को प्राप्त करने से भी वंचित करता है। समिति यह महसूस करती है कि किसी प्रकार की आलस्य करने से एससी एवं ओबीसी, एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा तथा एससी के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय स्कीम के कार्यान्वयन पर वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि विभाग द्वारा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएं फिर भी विभाग/किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रणाली की अनुपालना तथा नियमित निगरानी के लिए सख्त जरूरत है। समिति चाहती है कि एससी तथा ओबीसी छात्रों की भलाई के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए बजटीय प्रावधानों का पूर्णत: उपयोग हो।"

9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 के दौरान एनओएस स्कीम के अंतर्गत 30.00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। बाद में, संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बढ़ाकर 35.00 करोड़ कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनओएस स्कीम के अंतर्गत 49.07 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्कीम के अंतर्गत 36.00 करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया गया है। जहां तक एनएफएससी का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्कीम का बजट अनुमान 300.00 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमान 125.00 करोड़ रुपये रखा गया था। इस संबंध में यह कहा गया है कि स्कीम के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी यूजीसी है और छात्रों की फैलोशिप के संवितरण के लिए यूजीसी के अनुमान के अनुसार यूजीसी को निधियां जारी की गईं। यूजीसी ने केवल वर्ष 2021-22 के लिए 122.39 करोड़ रुपये की निधियों की

आवश्यकता परिकल्पित की थी और यूजीसी को उक्त राशि जारी की गई थी।"

10. 2019-2022 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना (एसएचईवाईएएस) के दायरे में तीन योजनाओं के खराब कार्य-निष्पादन को देखते हुए, समिति ने विभाग/एक स्वतंत्र अभिकरण से प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन और नियमित निगरानी कराने की इच्छा व्यक्त की थी और आशा व्यक्त की थी कि 2022-23 के बजटीय प्रावधानों का पूरा उपयोग किया जाएगा। समिति को अनुदानों की मांगों 2022-23 की जांच के दौरान बताया गया था कि विभाग ने 2021-22 में आने वाली समस्याओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हालांकि, समिति को 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग के संबंध में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है और 2021-22 के लिए दी गई जानकारी भी अधूरी है क्योंकि इसमें केवल 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति' और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' की जानकारी है, जिसमें वे बजटीय आवंटन से अधिक खर्च कर सके थे। समिति ने पाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निधियों की कम आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसका अर्थ यह है कि या तो उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या कम हो रही है/योजना का प्रचार पर्याप्त नहीं है/आवेदनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया धीमी या प्रक्रिया में कमी है। विभाग को यूजीसी द्वारा कम मांग किए जाने के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि व्यय की गति, संभवतः, 2022-23 में पर्याप्त नहीं है। यदि यह उचित होती, तो विभाग ने निश्चित रूप से 2022-23 में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला होता ताकि विभाग प्रणाली को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता को सही ठहरा सके। समिति का मानना है कि इस प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराना चाहतती है और इच्छा व्यक्त करती है कि प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है ताकि बजटीय आबंटन के उपयोग में सुधार लाया जा सके और सकारात्मक परिणाम के लिए विभाग/एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा उनके कार्यान्वयन की नियमित निगरानी भी आवश्यक है। समिति अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एसएचआरईवाईएएस के तहत 2022-23 में सभी योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग की वर्तमान स्थिति से भी अवगत होना चाहेगी।

ग. मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार की योजना (एसआरएमएस)

सिफारिश (पैरा संख्या 7.14)

11. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति यह जानकर अप्रसन्न है कि सीवर/सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के दौरान हुई मौतों के मामले में 104 व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। समिति यह जानकर चकित थी कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने निधियों की कमी के कारण मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। समिति का मानना है कि मौत होने पर रोटी कमाने वाले के परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। समिति का मानना है कि परिवार में कमाने वाले की मौत होने पर परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग सहित राज्य सरकारों की ओर से इस मामले में गभीरता नहीं बरती जा रही है। समिति चाहती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि मृतक के परिवार को परेशानी न हो और उन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मुआवजे के लिए लंबित 104 मामलों का तत्काल निपटान किया जाए। समिति मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के अपने पहले के सुझाव को भी दोहराना चाहती है ताकि उन्हें शामिल करने वाले व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके।"

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बकाया मामलों में मुआवजे के शीघ्र भुगतान के मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से उठा रहा है। ऐसे मामलों का ब्यौरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के साथ इस अनुरोध के साथ भी शेयर किया गया है कि वह आश्रितों को मुआवजे की पूर्ण राशि के भुगतान के प्रत्येक लंबित मामले को संबंधित राज्य/जिला मजिस्ट्रेट/नगर पालिका आयुक्त के समक्ष उठाए। महाराष्ट्र के मामले में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के समक्ष भी यह मामला उठाया गया है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मौत के 973 मामलों में से 537 मामलों में सीवरों और सेप्टिक टैंको की परिसंकटमय सफाई के

लिए लोगों के नियोजन और मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रथम दृष्टया उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दायर की गई हैं।"

13. यह देखते हुए कि हाथ से सीवर/सेप्टिक टैंकों की सफाई करने के दौरान मरने वाले 104 व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया था, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि आश्रितों की पीड़ा को कम करने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। तथापि, विभाग के की गई कार्रवाई उत्तर से यह पाया गया है कि राज्य सरकारों से आग्रह करने के अलावा मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। जिस गति से चीजों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे समिति अप्रसन्न है। समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराती है और इच्छा व्यक्त करती है कि मृतक के परिवार को समयबद्ध तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अंतहीन कष्ट न झेलना पड़े क्योंकि नीतिगत निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। समिति यह भी चाहती है कि प्रक्रिया/मानदंडों को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे निवारक के रूप में कार्य करें ताकि किसी में भी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर व्यक्तियों को काम पर रखने का साहस न हो और यदि कोई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो बिना किसी विलंब के दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए। समिति को प्रसन्नता होगी यदि लंबित 104 मामलों में मुआवजा देने में और टाल-मटोल न किया जाए और समिति को इस संबंध में सूचना दी जाए।

घ. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसीएस)

सिफारिश (पैरा संख्या 10.9)

14. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति इस बात को नोट करती है कि वर्ष 2017 में गठित विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ उन स्थानों की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पर ये समुदाय रहते हैं। समिति ने पाया कि वर्तमान में ऐसे 269 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विनिर्दिष्ट हैं और इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसी श्रेणियों में रखने के लिए अब एक सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। समिति यह जानकर

आश्चर्यचकित है कि विभाग आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है इसलिए वे चाहते हैं कि विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीसी के अंतर्गत रखा जा सके तथा लाभ उठा सकें। उनकी पहचान करने में विलम्ब से उनकी कठिनाई और बढ़ेगी तथा एससी/एसटी के कल्याणार्थ मौजूदा स्कीमों को लाभ उन्हें नहीं मिल सकेंगा। समिति इस बात की सराहना करेगी यदि यह कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो। समिति चाहेगी कि उसे इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के बारे में अवगत कराया जाए।"

15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 62 डीएनटी समुदायों के मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने हेतु वर्ष 2019 में एएनएसआई को 2.26 करोड़ रुपये अधिकृत किया है। एएनएसआई ने 62 समुदायों में से 48 समुदायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 48 समुदायों में से, 24 समुदाय इदाते आयोग रिपोर्ट के अनुबंध-II में उललिखित हैं (डीएनटी, एनटी तथा एसएनटी समुदायों की राज्य-वार सूची एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं)। एतद् द्वारा उल्लेख किया जाता है कि इदाते आयोग रिपोर्ट की अनुबंध-II की सूची में 267 समुदाय शामिल हैं, जिसमें से 12 समुदायों नृवंश विज्ञान अध्ययन के संचालन हेतु संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थान (ओडिशा-05, गुजरात-04, केरल-03, को आवंटित किए गए हैं। अत:, एएनएसआई को शेष 255 समुदायों का अध्ययन करना है, जिसमें से एएनएसआई द्वारा 24 समुदायों का पहले से ही अध्ययन किया गया है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। एएनएसआई ने सूचित किया की 226 डीएनटी समुदायों में से, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने देश भर में पहले से ही 161 समुदायों का अध्ययन पूरा कर लिया तथा वर्ष 2022 के दौरान अरूणाचल प्रदेश से शेष 65 समुदाय एवं अतिरिक्त 5 समुदायों का अध्ययन किया जाएगा।"

16. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विभाग की असमर्थता पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी और

सिफारिश की थी कि इस कार्य को प्राथमिकता दी जाए और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये समुदाय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रचलित योजनाओं का लाभ उठा सकें। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि इस संबंध में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। समिति ने पाया कि कुछ अध्ययनों की रिपोर्ट पूरी कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है। तथापि, समिति यह नोटकर निराश है कि प्रक्रिया बहुत धीमी है। अतः, समिति उपरोक्त समुदायों के मूल्यांकन और अध्ययन की प्रक्रिया में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से उपयुक्त श्रेणियों में उनके शीघ्र स्थापन की अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के भारत सरकार द्वारा परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

(सिफारिश पैरा संख्या 2.9)

समिति इस बात से निराश है कि विभाग अपने द्वारा प्रशासित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर वर्ष 2021-22 के दौरान 10,180.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 31 दिसंबर, 2021 तक केवल 2,873.42 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका है। समिति व्यय की धीमी गति के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों को नोट करती है, जैसे कि 1 फरवरी 2022 तक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं को जारी रखने संबंधी आदेश प्राप्त करने में देरी, विभिन्न योजनाओं के तहत एकल नोडल एजेंसी मनाने को सरकारों राज्य के लिए करने नियुक्त (एसएनए) के लिए छह महीने का समय, डीबीटी के माध्यम से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से का धन सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने में देरी आदि। यद्यपि राज्य सरकारों से सहयोग लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है, समिति का मानना है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए था। फिर भी यह मानते हुए कि अब कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, समिति को आशा है कि विभाग द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी और योजनाओं के जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर जारी की गई निधियों से अधिकतम लाभ प्रदान करेगी और उसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि समिति आशंकित है क्योंकि विभाग विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना घटक पर आवंटित निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामान्यत: वर्ष के अंत में खर्च करता है। इसलिए, समिति विभाग को इतनी मेहनत से विकसित नई प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कदम उठाने पर जोर देती है। समिति यह आशा करती है कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकल नोडल एजेंसी की नियुक्ति का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा तथा समिति चाहेगी कि उसे विभाग की प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसियों की राज्य-वार स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न कल्याण स्कीमों पर 31 दिसंबर, 2021 तक 10,180.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान में से केवल 2,873.42 करोड़ रूपए ही व्यय कर

पाया था। इस संबंध में, उल्लिखित है कि कुल आवंटन (बीई) में से 8705.62 करोड़ रूपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु आवंटित किया गया था जो कि कुल बजट का 82.77% है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत, निधियों को एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से संशोधित निधि की प्रवाह प्रणाली के अनुसार जारी किया गया जो व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किया गया था। संशोधित निधि प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एकल नोडल एजेंसी को नियुक्त करनी होगी। चुंकि निधियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केवल एसएनए के कार्यान्वयन के पश्चात ही जारी किया जाएगा। तदनुसार, विभाग वित्त वर्ष 2021-22 के आरंभ से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ एसएनए के कार्यान्वयन हेतु मामले की जांच कर रहा था। नोडल एजेंसियों को कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष भर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनेक बार परामर्श तथा बैठकों के आयोजन के पश्चात नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त की दृष्टि से विभाग चालू वर्ष के दौरान 10,180,00 करोड़ रुपये के संशोधित आकलन से 31 मार्च, 2022 तक 7459.99 करोड़ रुपये का कुल व्यय कर सका था जो कि संशोधित आकलन (आरई) का 73.28% था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग की निधियन स्थिति निम्नवत थी:

अनुमानित बजट (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)
10517.62 करोड़	10180.00 करोड़	7459.99 करोड़

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 2.10)

समिति यह देखकर निराश है कि पिछले 2 वर्षों में विभाग के बजट को आरई स्तर पर कम कर दिया गया था, क्योंकि 2020-21 और 2021-22 के दौरान संशोधित चरण में क्रमश: 10,103.57 करोड़ रुपये और 10,517.62 करोड़ रुपये के बीई को घटाकर क्रमश: 8,207.56 करोड़ रुपये और 10,180 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति इस बात को लेकर चितिंत है कि कम बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। समिति वार्षिक बजट तैयारियों के समय उच्च अनुमान प्रस्तुत करने के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है और इस प्रकार

मंत्रालय संशोधित अनुमानों को पूरी तरह से खर्च करने में भी विफल रहते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान भी विभाग के प्रक्षेपण वित्त मंत्रालय द्वारा कम कर दिए गए हैं तथा प्रक्षेपित 12,133.09 करोड़ रुपये के बजाए 11,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति को आश्वस्त किया गया था कि वे संपूर्ण आवंटन का व्यय करने में सक्षम होंगे तथा यदि कोई अंतराल रहता है, तो वे संशोधित चरण पर अतिरिक्त निधियों की मांग करेंगे। समिति का उत्कंठ भाव से यह मानना है कि समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले वर्गों के कल्याण के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित और समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थिति भी लक्षित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा न बन सके। समिति चाहती है कि वर्ष 2021-22 के आवंटन की समग्र उपयोगिता स्थिति के बारे में भी उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को कुल 10,517.62 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। विभाग के कुल आवंटन में से, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 8,705.62 करोड़ रूपए आवंटित किए तथा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम हेतु 1,395.00 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। चुंकि कुल बजट की 82.77% निधि प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत, निधियों को एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से संशोधित निधि की प्रवाह प्रणाली के अनुसार जारी किया गया जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किया गया। संशोधित निधि के प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक नोडल एजेंसी को नियुक्त करनी होगी। चूंकि, कुछ राज्यों द्वारा एसएनए के कार्यान्वयन में विलंब करने के फलस्वरूप विभाग में कम व्यय हुआ। इसके साथ ही, शैक्षिक विकास की स्कीमों हेतु कुल आवंटन का लगभग 60% बजट का आवंटन किया गया था क्योंकि वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण, विद्यालय/महाविद्यालय वर्ष के अंतिम भाग में खुले थे जिस कारण राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के खोलने में देरी हुई। अतः राज्य सरकारों द्वारा आवेदनों के पंजीकरण और प्रक्रिया में विलंब होने के कारण विद्यार्थियों का कुछ मुख्य पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इंजिनीयरिंग आदि में नामांकन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। इसके अलावा, कुछ स्कीमें मांग वाहित हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बार-बार स्थगित करना तथा पुन: शुरू करना पड़ा था। सभी घटकों की वजह से स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2021-22

के दौरान कम खर्च हो पाया था। एवीवाईएवाई, श्रेष्ठा तथा एनएपीडीडीआर के संबंध में उल्लिखित है कि, विभाग के निर्णयानुसार, जीआईएए को केवल पीएमयू द्वारा निरीक्षण के पश्चात् ही जारी करना होता है। कोविड-19 के कारण, पीएमयू द्वारा सभी एनजीओ/संगठनों का समय पर निरीक्षण नहीं हुआ। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनाओं/एनजीओ/संगठनों को अनुदान सहायता कोविड के कारण निरीक्षण के पश्चात लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में जारी की गई थी। कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थी अपेक्षाकृत कम थे इसलिए जीआईए अपेक्षाकृत कम जारी की गई। उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद वर्ष के दौरान विभाग 10,180.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान में से 31 मार्च, 2022 तक 7,459.99 करोड़ रूपए व्यय कर सका जो संशोधित अनुमान (आरई) का 73.28% है। विभिन्न स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समिति के सुझाव अनुपालन हेतु नोट कर लिए गए हैं।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 3.13)

समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को दिसंबर, 2020 में संसोधित किया गया है ताकि योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी की जा सके। इसके बावजूद, समिति ने पाया कि विभाग वर्ष 2021-22 के लिए 4,196.59 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से फरवरी, 2022 तक केवल 720.45 करोड़ रुपये की व्यय कर सका है, जबकि विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा क्योंकि आवेदनों की प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई ने गति पकड़ ली है। समिति को सूचित किया गया है कि अधिकांश राज्यों/क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया संघ राज्य/समय में 19 अभी भी प्रगति पर है क्योंकि कोविड-19 कॉलेज स्कूलों में देरी से प्रवेश के कारण आवेदन पोर्टल देरी/से खुला। जिन असाधारण परिस्थितियों में प्रक्रिया धीमी हुई उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए समिति का मानना है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधियों के व्यय में विलंब की इस प्रवृत्ति का अब समाधान किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में समुचित उपाय करे तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचने तथा स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारत में अध्ययन हेतु (पीएमएस-एससी), वित्त वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति राशि का सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि डीबीटी भुगतान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर केवल राज्य सरकार से अग्रिम स्तर पर सत्यापन डाटा प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण, विद्यालय/महाविद्यालय वर्ष के अंतिम भाग में खुले, जिससे राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के खुलने में देरी हुई इसलिए, राज्यों द्वारा आवेदनों के पंजीकरण और प्रक्रिया में विलंब हुआ। तथापि, विभाग वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4,196.59 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से मार्च, 2022 तक 1978.56 करोड़ रूपए खर्च कर सका था। छात्रों का वर्ष 2021-22 के अंत तक कुछ मुख्य पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में नामांकन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था क्योंकि अधिकांश राज्यों के विभिन्न विश्वविद्लायों/संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में विलंब हुआ था। परिणामस्वरूप, राज्य पोर्टल पर लाभार्थियों की कम संख्या का पंजीकरण हुआ था। आज की तारीख तक, वर्ष 2021-22 के लिए लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2020-21 के लगभग समान है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, दिनांक 25.04.2022 तथा 26.04.2022 को हुई परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों के दौरान इस विभाग द्वारा विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि राज्य को संस्थानों तथा विभिन्न मिडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन करना चाहिए ताकि समाज के लक्षित क्षेत्रों के सभी पात्र छात्र लाभों का फायदा उठा सकें। इसके अलावा, स्कीम दिशा-निर्देशों के लिए राज्य सरकारों को प्रति वर्ष एससी छात्रों को चिन्हित करने और उन्हें नामांकन करने तथा छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए परामर्श देने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता होती है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 3.14)

समिति ने पाया है कि केंद्र और राज्यों के बीच मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के बंटवारे के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार, 40% राज्य अंश जारी किए जाने के बाद 60% का केंद्रीय हिस्सा

जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, छात्रों को कठिनाइयों से बचाने के लिए इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने अपना हिस्सा जारी किया है या नहीं, पहले केंद्रीय हिस्से को जारी किया जाना था। समिति विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरणों से यह नोट कर परेशान है कि 2020-21 में छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर को जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा बिहार, दिल्ली और हरियाणा ने वर्ष 2020-21 में अपने हिस्से का अंशदान जारी नहीं किया। समिति को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अपने हिस्से के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं। समिति का मत है कि इस तरह के उदाहरण छात्रों को हतोत्साहित करते हैं। समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समिति चाहेगी कि विभाग ऐसी घटनाएं फिर नहीं हों इसके लिए समुचित कदम उठाएं। समिति विभाग से यह सिफारिश करना चाहेगी कि ऐसे मामलों की जांच करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए तथा समय पर अपने हिस्से जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से संपर्क किया जाए।

सरकार का उत्तर

पीएमएस-एससी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, 60% का केंद्रीय हिस्सा 40% राज्य हिस्से के जारी होने के बाद जारी किया जाना है। वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 की महामारी के कारण, विद्यालय/महाविद्यालय वर्ष के अंतिम भाग में खोले गए जिसके कारण राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों के खुलने में विलंब हुआ। इसलिए, राज्यों द्वारा आवेदनों के नामांकन और प्रक्रिया में विलंब हुआ था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, केवल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए छूट के रूप में छात्रों को कठिनाइयों से बचाने के लिए, केंद्रीय शेयर पहले जारी किया गया था भले ही राज्यों ने अपना शेयर जारी किया हो अथवा नही किया हो। तद्नुसार, 25 और 26 अप्रैल 2022 को हुई परियोजना मुल्यांकन समिति (पीएसी) बैठकों के दौरान, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने शेयर जारी नहीं किए थे, उनको जल्द से जल्द 40% राज्य शेयर जारी करने तथा वर्ष 2021-2022 के लिए छात्रवृत्ति आवंटन की प्रक्रिया को 31 मई, 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएसी ने राज्यों की कड़ाई से सलाह दी कि वर्ष 2022-23 और उसके बाद से 60% केंद्रीय शेयर जारी करने से पहले 40% राज्य शेयर जारी करना होगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 4.12)

समिति को यह पता लगा है कि दो अलग स्कीमों अर्थात् एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम तथा अस्वच्छ पेशे में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम का विलय करके वर्ष 2021-22 से "एससी तथा अन्यों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां" नामक स्कीम बनाई गई है। समिति यह जानकर हैरान है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन 500.00 करोड़ रुपये है जो कि वर्ष 2021-22 के 725 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2020-21 के 700 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में बहुत कम है। समिति वर्ष 2022-23 के कम बजटीय आवंटन हेतु कोई तर्क नहीं ढूंढ पा रही है जबकि इस समय दो स्कीमों का विलय किया गया है तथा विभाग के वर्ष 2021-22 के दौरान 33 लाख लाभार्थियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसलिए, समिति का यह मानना है कि वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष में भी 32.98 लाख व्यक्ति 596.33 करोड़ रुपये का व्यय करके शामिल किए गए थे। समिति चाहेगी कि उसे विभाग की कार्य पद्धति में किए गए सुधारों से अवगत कराया जाए तथा दिए गए बजट के साथ लक्षित समूह के संबंध में सफलता प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताया जाए। जहां तक डीबीटी मोड के माध्यम से निधियों के अंतरित करने का संबंध है समिति आशा करती है कि इससे दोहरापन/धोखाधड़ी के मामले मिट जाएंगे। फिर भी समिति का यह सुदृढ़ विचार है कि विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि आरई चरण पर वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया जाए ताकि इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम लाभार्थियों को शामिल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

"अनुसूचित जातियों और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 725.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 38.05 लाख लाभार्थियों (संभावित) के लिए 570.39 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। विभाग ने वर्ष 2022-23 से स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों के खाते में जारी करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य दोहरे और कपटपूर्ण आवेदनों को दूर करना है। इसके अलावा, वर्तमान स्कीमों के विलय हेतु प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार के पश्चात व्यय वित्त

समिति (ईएफसी) द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन की सिफारिश की गई है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग कम थी और बजट अनुमान में बदलाव था, अत: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को कम कर दिया गया है। तथापि, यदि निधियों की उपलब्धता की तुलना में मांग में वृद्धि होती है तो अनुपूरक बजट की मांग की जाएगी ताकि स्कीम के अंतर्गत अधिकतम लाभार्थियों को कवर किया जा सके।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 4.13)

समिति यह भी पाती है कि विभाग इस शीर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 725 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से अब तक 362 करोड़ रुपये खर्च कर सका है और मंत्रालय बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास करेगा क्योंकि राज्यों से लंबित यूसी प्राप्त होने की उम्मीद है। समिति विभाग द्वारा जारी योजना के अंतर्गत अपनाए गए नए दृष्टिकोण सहित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से डिजाइन किए जाने के बावजूद निधियों के पूर्ण उपयोग के बारे में आशंकित है, जब तक कि विभाग द्वारा छात्रों और कार्यान्वयन एजंसियों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग सभी तीनों स्कीमों को बराबर महत्व प्रदान करे क्योंकि अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि किसी अवस्था में स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो किसी अन्य स्कीम के लिए निधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि पिछड़ रही स्कीम पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाए।

सरकार का उत्तर

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2020-21 के सभी बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात "अनुसूचित जाति और अन्यों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 725.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 38.05 लाख लाभार्थियों (संभावित) के लिए 570.39 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। विभाग ने बेहतर पारदर्शिता, संस्थाओं द्वारा दोहराव और गलत दावों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022-23 से ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे ही डीबीटी को आरंभ

किया है। विभाग ने किसी भी मानवीय इंटरवेंशन से बचने के लिए डिजीटाइजेशन अर्थात आरंभ से अंत तक ऑनलाइन कार्रवाई और पात्र प्रमाण-पत्रों की जांच पर बल दिया है। विभाग ने स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और संस्थानों में केंद्रीय टीम भी भेजी है। साथ ही स्कीम के कार्यनिष्पादन की कड़ी निगरानी, आवश्यक दस्तावेज को समय से तथा सही रूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पत्राचार और बैठकों के माध्यम से विभाग द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। जब कि एनएसकेएफडीसी को भावी लाभार्थियों की पहचान का कार्य सौंपा जा रहा है, तो विभाग ने अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने का राज्यों को भी निर्देश दिया है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 5.9)

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना के तहत, मंत्रिमंडल द्वारा 2021-22 से 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पर 3 से 10 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। समिति को आशा है कि स्वीकृत निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। समिति का मानना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रीतियों को तैयार किया गया होगा कि निधियां अप्रयुक्त न रह जाए। समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि विभाग को पर्याप्त प्रस्ताव मिल सकें। समिति निधियों के लाभकारी उपयोग के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्कीम के कार्यान्वयन के अनुमोदन के परिणामस्वरूप ऐसे दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिनसे दिशा-निर्देशों में परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, परियोजना तैयार करने की निगरानी के लिए परियोजना के शुरू से अंत तक डिजीटाइजेशन हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। इससे राज्य सरकार को

प्रस्ताव को समय से प्रस्तुत करने तथा मंत्रालय को उसके आंकलन और अनुमोदन करने में सुविधा होगी। इसके परिणामस्वरूप, स्कीम का बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी हो सकेगी। इससे निधियों का सही उपयोग हो सकेगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 6.16)

समिति ने पाया है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य उनकी वास्तविक जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। समिति चाहती है कि विभाग को प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले इन योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत पात्र छात्रों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय मानदंडों में बढ़ती मुद्रास्फीति के आलोक में संशोधन करने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये की आय का मानदंड अवास्तविक है। यह आय मानदंड कई छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने से हतोत्साहित करता है, इसलिए इसका उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब आय मानदंड को संशोधित किया जाएगा। विभाग को अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग के लिए पात्र छात्रों की संख्या का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र भी बनाना चाहिए ताकि अधिकतम छात्रों को योजनाओं के तहत शामिल किया जा सके। इसलिए समिति इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत निर्धारित प्रत्येक वर्ष के लिए स्लॉट संख्या सहित आय मानदंडों की समीक्षा करने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि विभाग इन मुद्दों पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देने के लिए अपेक्षित उपाय करे।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के ज्यादा लाभार्थियों को शामिल करने के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत आय सीमा को वर्ष 2016-17 के दौरान 3.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के दौरान 6.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपये कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार स्कीम को संशोधित किया गया है। कुल उपलब्ध 3500 स्लॉटों को विभाग द्वारा पात्र उम्मीदवारों के सीधे चयन के माध्यम से भरा जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति समुदाय के और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उच्च श्रेणी स्कीम के अंतर्गत आय सीमा को वर्ष 2018-19 के दौरान 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के दौरान 6.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपये कर दिया गया है। स्कीम में संस्थानों की संख्या को भी वर्ष 2018-19 में 175 से बढ़ाकर 220, वर्ष 2020-21 के दौरान 220 से 256 और तत्पश्चात वर्ष 2021-22 के दौरान 256 से बढ़ाकर 259 कर दिया गया है। ईएफसी सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति (एससी) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक वार्षिक रूप से लाभार्थियों का कुल कवरेज क्रमश: 4100 से 4500 कर दिया गया है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 6.17)

समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि श्रेयस के तहत 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमानों को काफी कम कर दिया गया है। समिति ने पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बजटीय आवंटन में कमी के औचित्य को सही नहीं पाया है। समिति महसूस करती है कि इसमें लाभार्थी की कोई गलती नहीं है और किसी विशेष वर्ष में योजना की विफलता का यह अर्थ नहीं है कि योजना का लाभ लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए, बजट को कम नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए समिति का विचार है कि इन सभी स्कीमों तथा इनके अंतर्गत की गई सिफारिशों/सुझावों का मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि स्कीम सुदृढ़ हो सके। समिति चाहती है कि विभाग अब इस पर कार्रवाई करे इसके अलावा, ऐसे तरीके तथा उपाय निकाले जिनके माध्यम से इन स्कीमों के लाभार्थी को अधिकतम लाभ मिल सके।

सरकार का उत्तर

यह सूचित किया गया है कि नि:शुल्क कोचिंग स्कीम (एससी और ओबीसी) और राष्ट्रीय फैलोशिप (एससी) के संबंध में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमानों में कमी की गई है। तथापि, उच्च श्रेणी स्कीम (एससी) और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एससी) के अंतर्गत पिछले वर्षों की तुलना में बजटीय अनुमान में वृद्धि की गई है। नि:शुल्क कोचिंग स्कीम (एससी और ओबीसी) के संदर्भ में वर्ष 2021-22 के 50.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान कुछ कम कर 47.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह सूचित किया जा सकता है कि स्कीम में संशोधन किया गया है और स्कीम के अंतर्गत चयन के एक मोड, जिसमें पैनलबद्ध संस्थानों को अनुदान सहायता जारी की गई थी, को समाप्त कर दिया गया है। अब स्कीम को केवल मोड 2 में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों का चयन सीधे विभाग द्वारा किया जाता है और छात्रों को कोचिंग के लिए अपनी इच्छानुसार संस्थान का चयन करने की स्वतंत्रता है। पिछले 03 वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किए गए व्यय के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 47.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और यदि अधिक निधियों की आवश्यकता होती है तो उन्हें संशोधित अनुमान स्तर पर बजट के पुन:विनियोजन के समय उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत ईएफसी की सिफारिशों के आधार पर बजट अनुमान को वर्ष 2021-22 के 300.00 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 2022-23 में 173.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 7.13)

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के समन्वय से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना स्थापित की गई है ताकि सीवर (नमस्ते-एनएएमएएसटीई) प्रणाली और सेप्टिक टैंकों की हाथों से की जाने वाली सफाई में लगे कामगारों का पुनर्वास किया जा सके। मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना 'स्वच्छता उद्यमी योजना' के माध्यम से किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी पाया है कि हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा को रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, रियायती दरों पर ऋण, क्रेडिट लिंक्ड अग्रिम कैपिटल

सब्सिडी, जिसे विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जैसी विभिन्न योजनाएं हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन सभी उपायों के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय व्यक्तियों की मौत आज भी हो रही है। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जनके कारण विभाग की पहलों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समिति का मानना है कि मंत्रालयों के साथ समन्वय से शुरू की गई मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हाथ से सफाई (एनएएमएएसटीई) की समस्या को कम करने में मदद करेगी, जब सभी नगर निकायों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और यांत्रिक सफाई को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना की आवधिक जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करे क्योंकि विभाग के प्रयासों को प्रभावित करने वाली खामियों को बिना विलम्ब के दूर करने की पुरजोर आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित बजटीय आवंटन को संशोधित स्तर पर कम करने के बजाय बढ़ाया जाए।

सरकार का उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीवरों और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों यथा शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग और सिविल सोसायटी के सहयोग से उठाए गए विभिन्न कदम सीवरों और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के मामलों को रोकने में प्रभावी हुए हैं। सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हुए कर्मचारियों की मौतों की संख्या जो वर्ष 2019 के दौरान 117 थी, वह वर्ष 2020 में घटकर 19 और वर्ष 2021 में 30 रह गई है। अत: यह स्पष्ट है कि मौतों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय कर्मचारियों की मौत को रोकने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के अपने प्रयास जारी रखेगा। मंत्रालय सफाई कर्मचारियों की मृत्यु का कारण बन रही सीवरों और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के संकट से निपटने के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना, मशीनी इकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते) स्कीम और अन्य संगत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता है। इन शहरी स्थानीय निकायों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों के साथ नियोजित इंटरवेंशनों द्वारा देश की प्रमुख नगर पालिकाओं को लक्ष्य में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से यह भी सुनिश्चित होगा कि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किए गए बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग हो रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निधियों का प्रबंध किया जाएगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 8.10)

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 और 2018 में क्रमश: अनुसूचित जातियों के लिए (वेंचर कैपिटल फंड-वीसीएफ) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (एससी) नामक दो योजनाएं शुरू की गई थीं। दोनों (बीसी-वीसीएफ) योजनाओं के बजटीय आवंटन और व्यय की जांच पर समिति में 2021-22 इस बात से काफी निराश है कि विभाग वीसीएफ में 2021-22 और 2020-21 एससी के तहत और बीसी के लिए कोई व्यय नहीं कर पाया क्योंक -वीसीएफ कंपनियों के स्वामी इक्विटी का योगदान करने में सक्षम नहीं थें, जो 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। चूंकि विभाग 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी कंपनी के स्वामी को जारी नहीं कर सकता है, चूंकि विभाग को इस मुद्दे से निपटने के लिए समीक्षा करने और वैकल्पिक प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विभाग अब स्टार्ट-अप पर व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकत कदम उठा रहा है और उन्हें विश्वास है कि स्टार्ट-अप बाजार या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण अस्तित्व के संकट से बाहर आ जाएंगे। समिति ने यह भी पाया कि सितंबर एससी के अंबेडकर सोशल इनोवेशन-से वीसीएफ 2020 इनक्यूवेशन मिशन कंपनियों 23 के तहत (एएसआईआईएम) करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और इस राशि में क 6.90 को दिसंबर 31 से, 0.87 कंपनियों को केवल 15 तक 2021 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। समिति चाहती है कि कंपनियों को स्वीकृत शेष राशि को अविलंब संवितरित किया जाए और समिति दोनों योजनाओं में स्वीकृत निधिंयों में से संवितरित कुल राशि के ब्यौरे के बारे में भी अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

क. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी) और वीसीएफ-एससी के अंतर्गत अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम): वीसीएफ-एससी के अंतर्गत वर्तमान कोष निधि 683.18 करोड़ रुपये है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से 609.22 करोड़ रुपये का योगदान (निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष योगदान और ब्याज के इकट्ठा होने से) और आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 73.96 करोड़ रुपये का योगदान (निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष योगदान और ब्याज

के इकट्ठा होने से) शामिल है। अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि के अंतर्गत आईएफसीआई उद्यम पूंजीगत निधि ने आज की तारीख तक निम्नलिखित निधियां मंजूर और वितरित की हैं:

वर्ष-वार विवरण	कुल (निधियों के आरंभ होने से 17 मई, 2022 तक)		
	(वीसीएफ-एससी)	(एएसआईआईएम)	कुल (वीसीएफ-एससी और एएसआईआईएम)
कुल मंजूर सहायता (रु. करोड़ में)	484.63	10.20	494.83
मंजूर लाभार्थियों की संख्या	128	34	162
कुल वितरण (रु. करोड़ में)	302.28	1.63	303.91
सहायता वितरित किए गए लाभार्थी (संख्या में)	94	24	118

निष्कर्ष :

- 17 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के 609.22 करोड़ रुपये के कुल योगदान में से 558.94 करोड़ रुपये की राशि (अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से लगभग 92% निधियां) पहले ही प्रतिबद्ध की जा चुकी हैं, अर्थात अनुसूचित जाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली 162 कंपनियों को मंजूर की गई 474.84 करोड़ रुपये की राशि और 64.11 करोड़ रुपये का अनुमोदित व्यय (31 जनवरी, 2022 तक) शामिल है।

- इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, एएसआईआईएम सहित वीसीएफ-एससी की कायिक निधि 646.18 करोड़ रुपये थी, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का योगदान 579.22 करोड़ रुपये का है। इस अवधि के दौरान, 538.95 करोड़ रुपये अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त लगभग 93.05% निधियां पहले ही प्रतिबद्ध की जा चुकी है अर्थात जिसमें अनुसूचित जाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली 155 कंपनियों को मंजूर की गई 474.84 करोड़ रुपये की राशि और 64.11 करोड़ रुपये का अनुमोदित व्यय (31 जनवरी, 2022 तक) शामिल है।

- उपर्युक्त मंजूरी की तुलना में आज की तारीख तक एएसआईआईएम सहित वीसीएफ-एससी के अंतर्गत 118 लाभार्थियों को 303.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। शेष मामलों में कार्रवाई और दस्तावेजीकरण का कार्य प्रगति पर है।

- हाल ही में एएसआईआईएम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर युवा उद्यमी लीग (एवाईई लीग) नामक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 14 अप्रैल, 2022 को आयोजित किया गया था। इस कार्यकम में एवाईई लीग के अंतर्गत लगभग 1042 आवेदन प्राप्त हुए और डॉ. अम्बेडकर बिजनेस एक्सीलेंस (एवीई) समारोह के दौरान लगभग 1463 नामांकन प्राप्त हुए। इसके अलावा, वीसीएफ-एससी और एएसआईआईएम स्कीमों के बारे में विपणन/जागरूकता उत्पन्न करने के हमारे सतत प्रयासों के भाग के रूप में आईएफसीआई उद्यम ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। स्कीमों के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए कई वेबीनार भी आयोजित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त सभी प्रयास, मामलों की मजबूत पाइप लाईन और नए अनुसूचित जाति उद्यमियों को नई मंजूरियों तथा वितरण की मांग के लिए तैयार किए गए हैं।

ख. पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि (वीसीएफ-बीसी): वीसीएफ-बीसी को अप्रैल, 2018 में आरंभ किया गया था परंतु 30 सितम्बर 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से योगदान प्राप्त होने के बाद, निधि को आरंभ करने की अनिवार्य आवश्यकता अर्थात 20 करोड़ रुपये की न्यूनतम कायिक निधि प्राप्त करने के पश्चात, यह 01 अक्तूबर, 2019 से कार्यशल हो सकी।

वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत वर्तमान कायिक निधि 131.17 करोड़ रुपये है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से 126.42 करोड़ रुपये का योगदान (निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष योगदान और ब्याज के इकट्ठा होने से) और आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 5.35 करोड़ रुपये का योगदान (निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष योगदान और ब्याज के इकट्ठा होने से) शामिल है। वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत आईएफसीआई उद्यम पूंजीगत निधि ने आज की तारीख तक निम्नलिखित निधियां मंजूर और वितरित की हैं:

वर्ष-वार विवरण	कुल (निधियों के आरंभ होने से 17 मई, 2022 तक)
कुल मंजूर सहायता (रु. करोड़ में)	68.03
मंजूर लाभार्थियों की संख्या	24
कुल वितरण (रु. करोड़ में)	8.19
सहायता वितरित किए गए लाभार्थी (संख्या में)	7

निष्कर्ष:

- 17 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के 126.42 करोड़ रुपये के कुल योगदान में से 71.36 करोड़ रुपये की राशि (अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से लगभग 56% निधियां) पहले ही प्रतिबद्ध की जा चुकी हैं अर्थात जिसमें पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के स्वामित्व वाली 24 कंपनियों को मंजूर की गई 68.03 करोड़ रुपये की राशि और 3.33 करोड़ रुपये का अनुमोदित व्यय (31 जनवरी, 2022 तक) शामिल है।

- उपर्युक्त मंजूरी की तुलना में वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत 07 लाभार्थियों को 8.19 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। शेष मामलों में कार्रवाई और दस्तावेजीकरण का कार्य प्रगति पर है।

- इसके अलावा, वीसीएफ-बीसी स्कीम के बारे में मार्केटिंग/जागरूकता उत्पन्न करने के हमारे सतत प्रयासों के भाग के रूप में आईएफसीआई उद्यम ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रकाशित किए है। स्कीमों के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए कई वेबीनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

- चूंकि वीसीएफ-एससी की स्कीम को अंतिम बार दिनांक 29.20.2020 को संशोधित किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि (वीसीएफ-बीसी)' के स्कीम दिशा-निर्देशों में संशोधन का अनुरोध किया गया था, ताकि दोनों स्कीमों को एक समान बनाया जा सके तथा स्कीम की पहुंच में सुधार किया जा सके। यह मंत्रालय के विचाराधीन है। अत: वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों

पर विचार करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने के सतत प्रयासों के साथ मामलों की मजबूत पाइप लाईन और पिछड़े वर्गों के नए उद्यमियों को नई मंजूरियों तथा वितरण की मांग के प्रयास किए जा सकें।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 9.13)

समिति ने नोट किया है कि वरिष्ठ नागरिक एकीकृत कार्यक्रम तथा वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना से गठित अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य देखभाल तथा मानवीय व्यवहार कार्य किया जाता है। समिति यह जानकर व्यथित है कि विभाग वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के 204 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से केवल 133.31 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है, इसलिए यह विभाग 300 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से केवल 30.13 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका है। समिति यह जानकर दु:खी है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के 150 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के बराबर रखा गया है। इसके अलावा, समिति यह जानकर हैरान है कि यह तथ्य है कि इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य वृद्धजनों की जनसंख्या के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता है तथा बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके लिए वर्ष 2021-22 के 31.12.2021 तक कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। समिति यह महसूस करती है कि विभाग को देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं उससे अधिक किए जाने की जरूरत है। एक बार स्कीमों के सूत्रीकरण के उपरांत उन्हें अपने स्थापित तंत्रों के जरिए निरंतर निगरानी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण उपायों के कार्यान्वयन हेतु और अधिक सर्पित ढंग से तथा संवेदनात्मक उपागम के साथ समुचित कदम उठाए जाएं तथा समिति यह भी चाहती है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया जाए ताकि इन स्कीमों के माध्यम से अधिकतम वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 150 करोड़ रुपये के आरई में से व्यय 133.31 करोड़ रुपये का था, वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय 150 करोड़ रुपये के आई में से

96.54 करोड़ रुपये था। यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही से व्यय विभाग के निर्देशों के अनुरूप पीएफएमएस के ईएटी (व्यय, अग्रिम, अंतरण) मापदंड सिद्धांतों का आरंभ किया। मंत्रालय द्वारा लाभार्थी एनजीओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। जब से लाभार्थी एनजीओ को इएटी मापदंड का आवश्यक रूप से अनुसरण करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन एवं सख्त निगरानी हेतु परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) भी स्थापित किया। पीएमयू समन्वयकों ने एनजीओ का निरीक्षण किया। इसकी स्थापना के पश्चात मंत्रालय ने एनजीओ को यथोचित असवर प्रदान करने के बाद, पीएमयू की नकारात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, एनजीओ की 120 परियोजनाओं से अधिक को अनुदान सहायता रोक दी है।

वर्ष 2021-22 से, मंत्रालय निरीक्षण के दौरान पाई गई लाभार्थियों की संख्या के समानुपात में परियोजनाओं को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय ने बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अंतराल/शामिल नहीं किए गए जिलों से नई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे। इस तरह के नए मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से सकारात्मक सिफारिश की प्राप्ति के पश्चात आईपीएसआरसी के अंतर्गत समावेश हेतु अनुमोदित है। जहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में, मंत्रालय ने राज्य से समय पर सिफारिश प्राप्त नहीं की है। यह मामला सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की दिनांक 09.05.2022 को आयोजित हाल ही में हुई बैठक में उठाया गया था। ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मामले पर शीघ्रता से सिफारिश भेजने का अनुरोध किया गया था। मिजोरम इन राज्यों के मध्य विशेष उल्लिखित है। मंत्रालय ने मिजोरम की 02 परियोजनाओं के संबंध में सिफारिश प्राप्त की है, तथा ये 02 परियोजनाएं दिनांक 26.04.2022 के आदेश सं. एजी-15039/37/2021-एसआर.सी.-I (ई.ओ.सं. 41986) द्वारा आईपीएसआरसी के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। बीई बेहतर कार्यान्वयन और सरकारी धन की चोरी को रोकने के लिए उपर्युक्त सख्त कदमों के परिणामस्वरूप बीई की तुलना में कम व्यय हुआ। चूंकि, हाल ही में हुई दिनांक 09.05.2022 को बैठक के दौरान आईपीएसआरसी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए प्रस्तावों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान नई परियोजनाएं होंगी तथा मंत्रालय 150 करोड़ रुपये के बीई लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 11.12)

समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 1990 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित और रोकने के लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के होने के बावजूद, उनसे अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। समिति यह जानकर हैरान है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2020 के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। समिति को यह भी पता चला है कि इस नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए राहत तथा पुनर्वास तथा मंजूर की गई निधियों का वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के मुकाबले उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा विभाग क्रमश: 593.39 करोड़ रुपये तथा 452.09 करोड़ रुपये (31 दिसम्बर, 2021 तक) ही खर्च कर सका है। बजट आवंटन भी शिथिल पड़ा रहा है क्योंकि वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन 600 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान 600 करोड़ रुपये था। समिति जिस तरह से इस मुद्दे का समाधान किया जा रहा है, खासकर के बजट आवंटन के संबंध में, को लेकर अत्यधिक व्यथित है तथा पीड़तों को मुआवजा जारी करने में अच्छा खासा समय गंवाया गया है इसलिए पीड़ितों के राहत तथा पुनर्वास संबंधी मुआवजा जारी करने में हुए विलम्ब से समिति नाराज है। समिति यह भी महसूस करती है कि अप्रैल, 2016 में निर्धारित 85,000/- रुपये से लेकर 8,25,000/- रुपये के मुआवजे की पुनरीक्षा करने की जरूरत है ताकि मुआवजा राशि का इस प्रयोजनार्थ सदुपयोग किया जा सके। इसलिए समिति विभाग से चाहेगी कि वह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निदेश दे कि वे यह सुनिश्चित करें कि राहत समय पर जारी की जाए तथा मुआवजा प्रमात्रा सुनिश्चित की जाए।

सरकार का उत्तर

कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए)) के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1955, के तहत आने वालों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों में, अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित जिम्मेदारी है। इसके अलावा, अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित डाटा गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा रखा जाता है। भारत के

संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में एससी एवं एसटी के सदस्यों के विरुद्ध अपराध सहित सभी अपराधो के निवारण, अनुसंधान, पंजीकरण, जांच तथा अभियोग हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, वे मुख्य रूप से पीओए नियमावली तथा पीओए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि समिति ने 31 दिसम्बर 2021 तक जारी 452.09 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का उल्लेख किया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर, पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 610.11 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की थी। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने हेतु नियमावली में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। समिति द्वारा हाल ही में माननीय जानजातीय कार्य मंत्री की सह-अध्यक्षता तथा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दिनांक 09.05.2022 को आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध उस्पृश्यता तथा अत्याचारों के अपराधों को रोकने के लिए तरीकों का पता लगाने के प्रभावी समन्वय हेतु गठन किया गया, पीओए नियमावली, 1995 में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की गई राहत संबंधी मामलों पर फिर से जोर दिया गया है। राज्यों ने इस संबंध में प्राथमिकता के साथ उचित कदमों की पहल का आश्वासन दिया। मुआवजा राशि की समीक्षा के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि हाल ही में वर्ष 2016 में पीओए नियमावली को संशोधित किया था। राहत राशि प्रदान करने हेतु अत्याचारों के अपराधों की संख्या पहले से 22 अपराधों से बढ़ाकर 47 की गई थी। पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली राहत की न्यूनतम राशि अपराधों की प्रकृति पर निर्भर 75,000/- रुपये एवं 8,25,000/- रुपये के बीच से संशोधित की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2018 में, पीओए नियमावली में फिर से संशोधन किया गया था तथा इसमें प्रावधान किया गया था कि मृत्यु, अथवा चोट, अथवा बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार, अथवा अप्राकृतिक अपराध अथवा जानबूझकर तेजाब फेंककर गंभीर रूप से घायल करना, अथवा जानबूझकर तेजाब फेंकना अथवा फेंकने की कोशिश करना आदि अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अत्याचार के पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को उपलब्ध करायी गई राहत, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के

तहत मुआवजे का दावा करने के अधिकार के अलावा, होगी। यह भी उल्लिखित किया गया है कि पीओए नियमावली, 1955 में निर्धारित राहत राशि, न्यूनतम राहत राशि है जो अनिवार्य रूप से अत्याचार पीड़ितों/आश्रितों को प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, पीओए नियमावली में अधिकतम सीमा निश्चित और निर्धारित नही की गई है। कार्यान्वयन प्राधिकरण होने के कारण राज्य राहत राशि को बढ़ा तथा वृद्धि कर सकते हैं। यह समिति के संज्ञान में लाना भी जरूरी है कि समय की परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाल के दिनों में प्रासंगिक अधिनियमों में उचित तथा उपयुक्त विधायी संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 12.12)

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2020-21 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) छात्रों के लिए (डीएनटी) अधिसूचित जनजाति और गैर-छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2.5 लाख रुपये की वर्तमान वांछनीय आय सीमा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पूरी पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुशंसित है। समिति महसूस करती है कि बढ़ती मंहगाई के साथ-साथ वार्षिक आय सीमा की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जरूरतमंद छात्र योजनाओं से वंचित न रहें। समिति का दृढ़ विश्वास है कि 2021-22 और 2025-26 की अवधि के दौरान परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि होगी जिससे बहुत से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे यद्यपि वास्तविक रूप से वे अच्छे विद्यालयों महाविद्यालयों/हॉस्टलों आदि का व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए समिति वार्षिक आय में मुद्रास्फीति के अनुसार आय मानदंडों के नियमित समीक्षा करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। भविष्य में स्कीम की समीक्षा के दौरान समिति की सिफारिश पर विचार किया जाएगा तथा जब भी जरूरत हो, स्कीम दिशा-निर्देशों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संशोधित किया जायेगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 13.8)

समिति ने यह पाया है कि वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत अन्य (वीआईएसवीएएस) पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदायों के स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को व्यक्तिगत क्रेडिट पर 4.00 लाख रुपये तक का ब्याज/ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं इसी तरह के वित्तीय संस्थानों से ऋण लाभ लेने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अथवा नाबार्ड के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम दर पर ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है। समिति यह जानकर हैरान है कि एससी के लिए विश्वास योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के 100 करोड़ रुपये के मुकाबले कम करके 50 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021-22 के 50 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपये ओबीसी हेतु विश्वास योजना के अंतर्गत कर दिए गए हैं। समिति यह जानकर अचंभित है कि इन योजनाओं के अंतर्गत फरवरी 15, 2022 तक कोई व्यय नहीं किया गया। समिति का यह मानना है कि इस योजना की असफलता में प्रमुख कारण विभाग द्वारा बैंकों को उक्त योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहमत नहीं कर पाना है। समिति की यह राय है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग ईमानदारी से प्रयास करे क्योंकि यह अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को कठिन समय में ब्याज भार को कम करने में सहायता करेगा तथा सर्व जनकल्याण हेतु स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करेगा। इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग स्कीम को सफल बनाने के लिए ईमानदार प्रयास करे तथा यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर बजट का इस्तेमाल हो तथा वर्ष 2021-22 की स्थिति दोहराई नहीं जाए।

सरकार का उत्तर

क. एससी हेतु विश्वास : एनएसएफडीसी द्वारा वर्ष 2020-21 में शुरूआत पीएसबी, आरआरबी तथा अन्य सामान्य वित्तीय संस्थान (इसके बाद उधार देने वाली संस्थाओं के रूप में संदर्भित-एलआई) द्वारा एससी लाभार्थियों हेतु ब्याज सबवेंशन स्कीम-विश्वास कार्यान्वित की गई थी। मूल्यांकन अध्ययन में सुझावों पर आधारित तथा लाभार्थियों के चयन हेतु जिम्मेदार एलआई के साथ अनुवर्ती परामर्श वर्ष 2021-22 से इसके कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त सुधार प्रस्तावि किए गए हैं। स्कीम में प्रस्तावित मुख्य सुधारों का सारांश निम्नलिखित है।

क्र.	स्थिति	वर्तमान में	प्रस्तावित सुधार

सं.			
1	एसएचजी का ऋण इतिहास	2 वर्ष	1 वर्ष
2	एसएचजी की संरचना	सभी सदस्य ओबीसी/एससी होने चाहिए।	सदस्यों का बहुमत (50%) ओबीसी/एसएससी से संबद्ध हो सकता है।
3	समूह के सदस्यों का आय मानदंड	सभी सदस्यों की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।	एसएचजी के अधिकारी सभी सदस्यों के वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये तक की एक घोषणा की पुष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं।
4	एसएचजी सदस्यों की जाति मानदंड	सभी सदस्य ओबीसी/एससी से संबंधित होने चाहिए।	अधिकारी द्वारा ओबीसी/एससी संबंधित सदस्यों के बहुमत की घोषणा की पुष्टि।
5	एसएचजी ऋण सीमा	4.00 लाख रुपये	15.00 लाख रुपये
6	एनआरएलएम/एनयूएलएम के साथ अभिसरण	अनुमति नहीं	3.00 लाख रुपये से अधिक तथा 15.00 लाख रुपये तक के ऋण हेतु अभिसरण की अनुमति।
7	सभी सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है एससी अथवा ओबीसी से संबंधित है, 2.00 लाख रुपये की ऋण पर सबवेंशन ब्याज के पात्र होगें।	2.00 लाख रुपये	10.00 लाख रुपये
8	आय पात्रता जांच हेतु दस्तावेज	1. राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी वैध वार्षिक आय प्रमाण-पत्र 2. एएवाई कार्ड धारक तथा अन्य व्यक्ति, जिनको एसईसीसी-	आय पात्रता के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्व दस्तावेजों के अलावा ओबीसी लाभार्थियों की आय पात्रता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भी स्वीकार्य होंगे:- i) एससीए/बैंक/एसएससी द्वारा

		2011 के संदर्भ में, संबंधित वीडीओ कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, तीन अथवा उससे अधिक लाभवंचनाओं का सामना कर पड़ रहा हैं। 3. कृषि कार्यों मे लगे सभी ओबीसी लाभार्थी तथा पीएम किसान के अंतर्गत शामिल लाभार्थी ब्याज राहत स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र होगें।	वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र पर लाभार्थियों के स्व-प्रमाणन पर राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राजपत्रित अधिकारी और/अथवा बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण समर्थित होने पर भी विचार किया जा सकता है। ii) बैंक (चैनल पार्टनर) में ऋण के लिए आवेदन किए जाने के मामले में, शाखा प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन और समर्थित स्व-प्रमाणन का उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। iii) भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत किसान (एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले) और छोटे किसान (दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले) के लिए, जैसा कि बैंकों द्वारा उनकी मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग से संबंधित निम्नलिखित विचारों के अनुसार स्वचालित रूप से लक्ष्य समूह के हिस्से के रूप में माना जाता है:- क) भूमिहीन कृषि श्रमिक और एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों को वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम माना जाएगा। ख) छोटे किसान अर्थात जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के मध्य

			भूमि है, उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम मानी जाएगी। iv) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड अथवा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड धारकों को 1.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और अत: स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत ब्याज राहत @ 5% प्रति वर्ष अनुसूचित जाति ऋणियों के नियमित खातों में प्रदान किया जाएगा जिसमें स्वयं सहायता समूह और संयुक्त प्रतिबद्धता समूह (एनआरएलएम/एसआरएलएम/नाबार्ड स्कीमों के अंतर्गत बनाए गए) विस्तारित माइक्रो क्रेडिट (बाद में एसएचजी/जेएलजी के रूप में संदर्भित) शामिल हैं) और अन्य लघु व्यवसाय ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, बशर्ते कि पहचान किए गए लाभार्थी अपने भुगतानों में चूक न करें। एलआई द्वारा ब्याज राहत का दावा किया जाएगा जो शीर्ष निगमों की मौजूदा चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं। स्कीम में उपर्युक्त संशोधनों के साथ यह अपेक्षित है कि स्कीम के अंतर्गत में वृद्धि हो सकती है।

ख. ओबीसी के लिए विश्वास: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में विश्वास योजना से संबंधित एसएफसी की बैठक होने वाली है एक बार एसएफसी के पूरे हो जाने पर तथा स्कीम के अनुमोदित हो जाने पर, विश्वास योजना के अंतर्गत निधियां जारी रखने की मंजूरी प्रदान की जाएगी तथा वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर बजट का उपयोग किया जाएगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

(सिफारिश पैरा संख्या 2.11)

समिति ने विभाग के बजट दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि विभिन्न योजनाओं की संरचना में बदलाव किया गया है क्योंकि 2021-22 से एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया था, जैसे कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस), प्रधानमंत्री दक्षता या कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष, डीएनटी/एनटी/एसएनटीएस (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम तथा वायब्रेंट इंडिया के लिए यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)। इन स्कीमों के पुनर्गठन के संबंध में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया/कार्य पद्धति का समुचित रूप से अभिसरण करना चाहिए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य हितभागियों को सूचित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में अवगत कराया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वित्त आयोग के पंद्रहवें चक्र के अनुरूप, स्कीमों के युक्तियुक्तकरण, चालू रखने तथा मूल्यांकन करने की कवायद पूरी कर ली है। स्कीम की स्कीमों का एसएफसी/ईएफसी के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात स्कीम के दिशा-निर्देश बनाए गए और उन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इन्हें संबंधित राज्य सरकारों तथा हितग्राहियों को सम्प्रेषित किया गया था। श्रेष्ठा और मुफ्त कोचिंग जैसी स्कीमों में कार्यान्वयन के नए तरीके शुरू किए गए हैं। पीएम-दक्ष स्कीम के अंतर्गत नामजद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों के लिए तंत्र तथा प्रक्रिया स्थापित की गई है। एससी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत, छात्रों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति भेजने के लिए डीबीटी प्रणाली भी शुरू की गई है। कुछ स्कीमों के लिए, तत्सम्यक निगरानी प्रत्येक चरण में, जैसे कि

परियोजना का योजनाकरण, तैयारी, प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन तथा अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल विकसित किया गया है। विभाग ने निधि का समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एसएनए के कार्यान्वयन को आगे और भी सुदृढ़ किया है। इन सभी स्कीमों के बारे में राज्य सरकारों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित हितधारकों को सूचित किया गया था। तत्पश्चात, हितधारकों और लाभार्थियों के मध्य जागरूकता हेतु समाचार पत्रों के विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। समिति के सुझावों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय .ज्ञा.का (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) संख्या11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 5.8)

समिति ने पाया है कि तीन स्वतंत्र स्कीमों नामत: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए) तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) का प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में वर्ष 2021-22 से विलय कर दिया गया है। समिति यह जानकर हैरान है कि अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। इसलिए समिति को वर्ष 2022-23 के दौरान भी अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्धारित 10 लाख का लक्ष्य प्राप्त करने में निश्चित रूप से संदेह है। समिति प्रत्येक योजना के विलय के बाद उनकी कार्य-निष्पादनता के बारे में भी चिंतित है क्योंकि इन तीनों योजनाओं के लिए निधियों का एकीकृत आवंटन किया जाता है बशर्ते कि निष्पादन की मात्रा निर्धारित न की गई हो, सफलता/निष्पादन का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि तीनों योजनाओं का समान महत्व दिया जाए क्योंकि ये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि एक योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव हैं, तो निधियों का उपयोग अन्य योजना पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि पिछड़ रही योजना पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाए।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जाता है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण जिसके लिए विभाग पहले से तैयार नहीं था, इसलिए वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता प्रदान किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या बेहद कम थी। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में वर्ष 2022-23 के लिए नियत 10 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य बेहद वास्तविक और प्राप्त करने योग्य है। एक ही स्कीम में कार्यान्वयन के लिए विलय की गई सभी 3 स्कीमें वास्तव में विलयित स्कीम के अलग घटकों के रूप में कार्यान्वित की जाएंगी और उनके लिए निधियों का आवंटन अलग से भी किया गया है। प्रारंभ में इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि एक घटक की निधियों का उपयोग दूसरे घटक में न किया जाए। तथापि, यदि हर संभव प्रयास करने के बाद भी किसी घटक के अंतर्गत निधियों को वापस करने की संभावना बनती है, तो निधियों को वापस करने से बचने के लिए इनका उपयोग अन्य घटकों के व्यवहार्य प्रस्तावों के लिए किया जाएगा। ये तीन स्कीमें केवल अनुसूचित जाति समुदायों के विकास के लिए ही बनाई गई हैं।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 10.8)

समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, डीएनटी के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण, आजीविका के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है और विभाग 2021-22 में कोई धन व्यय नहीं कर सका और 2021-22 के लिए 50.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में बजटीय आवंटन को घटाकर 28.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति इस बात से निराश है कि विभाग ने विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू-समुदायों के कल्याण के लिए योजना तैयार करने में पहले ही विलम्ब कर दिया है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की शिथिलता से योजना के कल्याणकारी उपायों में बाधा आएगी। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करे।

सरकार का उत्तर

सीड स्कीम के डीडब्ल्यूबीडीएनसी (पी.पी. 1219-1220/सी) द्वारा उल्लिखित वर्तमान स्थिति के अनुरूप, यह उल्लेख किया जाता है कि स्कीम संघटकों को कार्यान्वित करने हेतु, टीएसजी सीड के अंतर्गत लाभ प्राप्ति चाहने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु ऑनलाइन पोर्टल में कुछ असंगतियां पाई गई जिनकी पूर्व अध्यक्ष, डीडब्ल्यूबीडीएनसी की अध्यक्षता के अंतर्गत दिनांक 11.04.2022 को एक बैठक में टीएसजी समूह के साथ विस्तार में चर्चा की गई है। पोर्टल में पाई गई असंगतियों के संबंध में अपेक्षित सूचना की टीएसजी के साथ चर्चा की गई है। बोर्ड टीएसजी के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित संपर्क बना रहा है कि पोर्टल अंतत: स्कीम के शीघ्र कार्यान्वयन को सुगम बनाए।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

(सिफारिश पैरा संख्या 12.11)

समिति ने पाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (ओबीसी) लड़कों के लिए मैट्रिक पश्चात और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के छात्रावासों के अंतर्गत (ओबीसी) होने वाले व्यय में गिरावट आई है क्योंकि वर्ष 2019-20 से व्यय कम हो गया है। वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में विभाग क्रमश: 1,521.90 करोड़ रुपये एवं 1,357.02 करोड़ रुपये व्यय कर सका तथा वर्ष 2021-22 में अब तक मात्र 180.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जा सका है। समिति नोट करती है कि इस योजना में दो योजनाओं अर्थात उच्च श्रेणी स्कूल और उच्च श्रेणी कॉलेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 तक अलग-अलग बजटीय आवंटन वाली दो और स्वतंत्र योजनाओं का भी वर्ष 2021-22 से इस योजना में विलय कर दिया गया है। समिति यह जानकर निराश है कि विलय के बाद भी योजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। समिति महसूस करती है कि इतनी सारी योजनाओं को एक साथ लाने से योजना के अंतर्गत उपलब्या धन का उपयोग करने में मदद मिल सकती है, परन्तु इससे प्रत्येक योजना की प्रभावशीलता और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बजटीय आवंटन और व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि विभाग प्रत्येक योजना के कार्य-निष्पादन की जांच करे ताकि प्रत्येक योजना उद्देश्य से न भटके और एक ऐसा तंत्र अपनाए जो व्यक्तिगत योजना के उद्देश्य को कमजोर किए बिना दिए गए बजट में योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

इस स्कीम की निगरानी उपयोगिता प्रमाण-पत्र, स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधित तिमाही प्रगत रिपोर्ट जैसी विस्तृत जानकारी मांगने के द्वारा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर की गई है। विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखने हेतु तथा स्कीम कार्यान्वयन की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल में स्कीम के परिणामों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा तथा दो स्कीम नामत: उच्च श्रेणी विद्यालय एवं उच्च श्रेणी विश्वविद्यालय को स्कीम में जोड़ा गया है और बहुत सारी स्कीमों को एक साथ लाना स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निधि को उपयोग में लाने में सहायता कर सकता है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (पैरा 3.15)

समिति ने पाया है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये सालाना के आय मानदंड को 2013-14 में संशोधित किया गया था। समिति का दृढ़ता से मानना है कि इस तरह के कम आय मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो कई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक गंभीर बाधा बन गए होंगे। समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रियों का एक समूह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और वार्षिक आय सीमा में उपयुक्त संशोधन करेगा। समिति का दृढ़ मत है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश करती है कि छात्रवत्ति की राशि में आवधिक संशोधन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति इस मामले की स्थिति से अवगत रहना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

इस मामले में यह सूचित किया जाता है कि पीएमएस-एससी स्कीम को हाल ही में दिनांक 23.12.2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर संशोधित किया गया है और यह वर्ष 2025-26 तक प्रभावी है। संशोधित स्कीम दिशा-निर्देशों में वार्षिक आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये नियत किया गया है। अत: अभी इस चरण पर इस स्कीम के अंतर्गत आय मानदंड में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

सिफारिश (पैरा 6.15)

समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना के (श्रेयस) दायरे में आने वाली सभी चार योजनाओं पर बजटीय आवंटन की एक बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम था,

सिवाय 2021-22 के, जहां विभाग तीन योजनाओं के तहत खर्च करने में पिछड़ गया था, अर्थात, 'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग', 'अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' और 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति'। समिति को आश्चर्य है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति के लिए निर्धारित निधि का कम उपयोग चयन की तुलना में पाठ्यक्रम में शामिल होने जारी रखने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण था। इसी प्रकार, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के मामले में संस्थानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना के मामले में पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय नहीं किया जा सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकृत निधियों का कम उपयोग न केवल निधियों का निष्क्रिय रखता है बल्कि समाज के हाशिए पर जा चुके वर्गों के छात्रों को इन छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा अवसरों को प्राप्त करने से भी वंचित करता है। समिति यह महसूस करती है कि किसी प्रकार की आलस्य करने से एससी एवं ओबीसी, एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा तथा एससी के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय स्कीम के कार्यान्वयन पर वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि विभाग द्वारा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएं फिर भी विभाग/किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रणाली की अनुपालना तथा नियमित निगरानी के लिए सख्त जरूरत है। समिति चाहती है कि एससी तथा ओबीसी छात्रों की भलाई के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए बजटीय प्रावधानों का पूर्णत: उपयोग हो।

सरकार का उत्तर

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 के दौरान एनओएस स्कीम के अंतर्गत 30.00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। बाद में, संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बढ़ाकर 35.00 करोड़ कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनओएस स्कीम के अंतर्गत 49.07 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्कीम के अंतर्गत 36.00 करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया गया है। जहां तक एनएफएससी का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्कीम का बजट अनुमान 300.00 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमान 125.00 करोड़ रुपये रखा गया था। इस संबंध में यह कहा गया है कि स्कीम के कार्यान्वयन की नोडल

एजेंसी यूजीसी है और छात्रों की फैलोशिप के संवितरण के लिए यूजीसी के अनुमान के अनुसार यूजीसी को निधियां जारी की गईं। यूजीसी ने केवल वर्ष 2021-22 के लिए 122.39 करोड़ रुपये की निधियां की आवश्यकता परिकल्पित की थी और यूजीसी को उक्त राशि जारी की गई थी।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

सिफारिश (पैरा 7.14)

समिति को यह जानकर निराशा हुई है कि सीवर/सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के दौरान हुई मौतों के मामले में 104 व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। समिति यह जानकर चकित थी कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने निधियों की कमी के कारण मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। समिति का मानना है कि मौत होने पर रोटी कमाने वाले के परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। समिति का मानना है कि परिवार में कमाने वाले की मौत होने पर परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग सहित राज्य सरकारों की ओर से इस मामले में गंभीरता नहीं बरती जा रही है। समिति चाहती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि मृतक के परिवार को परेशानी न हो और उन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मुआवजे के लिए लंबित 104 मामलों का तत्काल निपटान किया जाए। समिति मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के अपने पहले के सुझाव को भी दोहराना चाहती है ताकि उन्हें शामिल करने वाले व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बकाया मामलों में मुआवजे के शीघ्र भुगतान के मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से उठा रहा है। ऐसे मामलों का ब्यौरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के साथ इस अनुरोध के साथ भी शेयर किया गया है कि वह आश्रितों को मुआवजे की पूर्ण राशि के भुगतान के प्रत्येक लंबित मामले को संबंधित राज्य/जिला मजिस्ट्रेट/नगर पालिका आयुक्त के समक्ष उठाए। महाराष्ट्र के मामले में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के

समक्ष भी यह मामला उठाया गया है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मौत के 973 मामलों में से 537 मामलों में सीवरों और सेप्टिक टैंको की परिसंकटमय सफाई के लिए लोगों के नियोजन और मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रथम दृष्टया उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दायर की गई हैं।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

सिफारिश (पैरा 10.9)

समिति इस बात को नोट करती है कि वर्ष 2017 में गठित विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू समुदाय कल्याण बोर्ड तथा विभाग को, अन्य बातों के साथ-साथ, उन स्थानों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पर ये समुदाय रहते हैं। समिति यह जानकर हैरान है कि विभाग आज की तारीख तक कोई निर्णय लेने में सफल नहीं रहा है इसलिए वे चाहते हैं कि विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि ये 269 जातियां एससी, एसटी अथवा बीसी के अंतर्गत आ सके तथा लाभ उठा सकें। उनकी पहचान करने में विलम्ब से उनकी कठिनाई और बढ़ेगी तथा एससी/एसटी के कल्याणार्थ मौजूदा स्कीमों को लाभ उन्हें नहीं मिल सकेंगा। समिति इस बात की सराहना करेगी यदि यह कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो। समिति चाहेगी कि उसे इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 62 डीएनटी समुदायों के मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने हेतु वर्ष 2019 में एएनएसआई 2.26 करोड़ रुपये एएनएसआई को अधिकृत किया है। एएनएसआई ने 62 समुदायों में से 48 समुदायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 48 समुदायों में से, 24 समुदाय इदाते आयोग रिपोर्ट के अनुबंध-II में उललिखित हैं (डीएनटी, एनटी तथा एसएनटी समुदायों की राज्य-वार सूची एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं)। एतद् द्वारा उल्लेख किया जाता है कि इदाते आयोग रिपोर्ट की अनुबंध-II की सूची में 267 समुदाय शामिल हैं, जिसमें से 12 समुदायों नृवंश विज्ञान अध्ययन के संचालन हेतु संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थान (ओडिशा-05, गुजरात-04, केरल-03, को आवंटित किए गए हैं। अत:, एएनएसआई को शेष 255 समुदायों का अध्ययन करना है, जिसमें से एएनएसआई द्वारा 24

समुदायों का पहले से ही अध्ययन किया गया है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। एएनएसआई ने सूचित किया की 226 डीएनटी समुदायों में से, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने देश भर में पहले से ही 161 समुदायों का अध्ययन पूरा कर लिया तथा वर्ष 2022 के दौरान अरूणाचल प्रदेश से शेष 65 समुदाय एवं अतिरिक्त 5 समुदायों का अध्ययन किया जाएगा।

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का.ज्ञा. संख्या 11014/1/2022-पीसीआर दिनांक 13.05.2022]

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

शून्य

नई दिल्ली;

15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944(शक)

रमा देवी

सभापति,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी

स्थायी समिति

परिशिष्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	**23**	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है-: **सिफारिश पैरा सं. 2.9, 2.10, 3.13, 3.14, 4.12, 4.13, 5.9, 6.16, 6.17, 7.13, 8.10, 9.13, 11.12, 12.12 और 13.8**	**15**	**65.2%**
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है-: **सिफारिश पैरा सं. 2.11, 5.8, 10.8 और 12.11**	**04**	**17.4%**
IV.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है-: **सिफारिश पैरा सं. 3.15, 6.15, 7.14 और 10.9**	**04**	**17.4%**
V.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं-: **शून्य**	**00**	**00%**
			100%